Speed post

भारत सरकार

Government of India

राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

(A Constitutional Body set up under Art. 338A of the Constitution of India)

Case File No. MRM/1/2015/MCOL1/DEOTH/RU-IV ated: 04.07.2018

To,

The Chairman cum Managing Director,
Central Coalfield Limited,
Darbhanga House,
Ranchi – 834 001 (Jharkhand).

Sub: Minutes of the Sitting taken by Smt. Maya Chintamn Ivnate, Hon'ble Member, National Commission for Scheduled Tribes (NCST) on 25.04.2018 in the matter of Shri Munish Ram Manjhi, Hazaribag, Jharkhand regarding employment in lieu of land.

Sir,

I am directed to enclose a copy of the Minutes of the Sitting held under the Chairmanship of Smt. Maya Chintamn Ivnate, Hon'ble Member, National Commission for Scheduled Tribes on 25.04.2018 on the above mentioned subject for perusal.

It is requested that action taken report in the matter may please be sent to the Commission within 30 days positively for placing the same before the Hon'ble Member, NCST.

Yours faithfully,
YKBansal 04/7/2018
(Y.K. Bansal)
Research Officer

Copy to:-

Shri Munish Ram Manjhi,
Gram – Urimari, Tola-Hesabeda,
Post-Sayal, District – Hazaribag,
Jharkhand – 829 125.

6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi -110003. Ph. 24601346 FAX: 24624628, 24657474
Toll Free: 1800117777 Website: http://ncst.nic.in

Copy to:- 1-SAS, NIC, NCST.

<u>भारत सरकार</u>
<u>राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग</u>

1. पत्रावली संख्या–एम.आर.ए.एम / 1 / 2015 / एम.को.ली / डी.ई.ओ.टी.एच / आर.यू–4

<u>जमीन के बदले नौकरी नहीं दी जाने के बारे में श्री मुन्शी राम मांझी, जिला–हजारी बाग से प्राप्त शिकायती मामले पर श्रीमति माया चिंतामण ईवनाते, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के समक्ष दिनांक 25.4.2018 को मध्यान्ह 12:00 बजे हुई सिंटिग का कार्यवृत्त।</u>

सिंटिग की तिथिः–25.4.2018 को 12 बजे

सिंटिग में भाग लेने वालों की सूचीः–परिशिष्ट क

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्री मुन्शी राम मांझी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, सी.सी.एल बरका–सयाल, ऑल इन्डिया शेडयुल्ड कास्टस / शेडयुल्ड ट्राईब्स / बॅकवर्ड क्लासेस एम्पलॉईज को–आर्डिनेशन कौन्सिल, जिला–रामगढ से अभ्यावेदन दिनांक 29.6.2015 प्राप्त हुआ है जिसमें श्री मुन्शी राम मांझी ने सी.सी.एल द्वारा उनकी अधिग्रहित जमीन खाता संख्या 16 एवं गैरमजरूआ खास खाता नं. 1 के एवज में उचित मुआवजा, सरकारी नौकरी एवं आर्थिक पुर्नवास उपलब्ध कराने का अनुरोध किया हैं।

इसी मामले में आयोग को श्री बैजनाथ राम, अध्यक्ष, ऑल इन्डिया शेडयुल्ड कास्टस / शेडयुल्ड ट्राईब्स / बॅकवर्ड क्लासेस एम्पलॉईज को–आर्डिनेशन कौन्सिल, सी.सी.एल जोन रांची से अभ्यावेदन दिनांक 20.6.2017 भी प्राप्त हुआ है।

अभ्यावेदन में आरोपित किया गया है कि प्रार्थी श्री मुन्शी राम मांझी निवासी–उरीमारी, पो–गोसाई टोला, जिला–हजारी बाग (झारखंड) की खेती की जमीन का सेन्ट्रल कोल फिल्ड ली. रांची के बरका सयाल क्षेत्र के उरीमारी प्रोजेक्ट व बिरसा प्रोजेक्ट हेतु सन 1982 में भूअधिग्रहण किया गया था। भूअधिग्रहण के समय कम्पनी प्रबंधन द्वारा जमीन के आश्रितों को नौकरी देने का वादा किया गया था। परंतु कम्पनी प्रबंधन द्वारा आज तक कोई नौकरी प्रदान नहीं की गई है। मामले में प्रार्थी द्वारा सन 2013 से आयोग में कई अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जा चूके है। आगे उनके प्रकरण में आयोग के पूर्व माननीय अध्यक्ष द्वारा दिनांक 18.4.2016 को सी.सी.एल प्रबंधन को लिखित आदेश देने के बावजुद भी उनको अभी तक जमीन के बदले नौकरी नहीं दी गई है। उनकी जमीन का रकवा–19 एकड एवं 21 डिस्मिल है। सरकार की मुआवजा नीति के अनुसार भूमिअधिग्रहण पर जमीन के आश्रितों को 3 एकड के हिसाब से नौकरी दी जाने का प्रावधान है।

Smt. Maya Chintamn Ivnate
Member
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India, New Delhi

मामले में आयोग ने पत्रांक दिनांक 30.6.2015, 9.4.2018 एवं 11.4.2018 के तहत सी.सी.एल प्रबंधन से कार्रवाई का प्रतिवेदन मांगा था, परंतु सी.सी.एल प्रबधन द्वारा कोई जांच प्रतिवेदन आयोग को प्रस्तुत नही किया गया है। अतः इस प्रकरण में चर्चा हेतु आयोग की माननीय सदस्य श्रीमति माया चितांमण ईवनाते ने अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सी.सी.एल के साथ ***दिनांक 25.4.2018 को 12 बजे*** को आयोग में सिंटिग निश्चित की तदनुसार, सम्बन्धित प्राधिकारी को सिंटिग नोटिस जारी किया गया।

<u>चर्चा / सुनवाई</u>

प्रकरण में श्री राजगोपाल सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सेन्ट्रल कोल फिल्डस ली. अन्य अधिकारियों के साथ दिनांक 25.4.2018 को आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। अभ्यावेदक श्री बैजनाथ एवं मुंशी राम मांझी भी उक्त सिंटिग में उपस्थित हुए। माननीय सदस्य ने अभ्यावेदक से उनकी समस्या के बारे में पूछा जिस पर अभ्यावेदक ने आयोग को अवगत कराया की सन् 1982 में सी.सी.एल द्वारा रांची के बरका–सयाल क्षेत्र के उरीमारी प्रोजेक्ट व बिरसा प्रोजेक्ट हेतु उनकी 16.5 एकड जमीन अधिग्रहण की गई थी। जमीन अधिग्रहण करते समय सी.सी.एल द्वारा मुआवजा एवं नौकरी देने का आश्वासन दिया गया था किंतु अभी तक उनको अधिग्रहित जमीन की एवज में केवल एक एक व्यक्ति को नौकरी प्रदान की गई है जबकि उनके परिवार में दो और व्यक्तियो को नौकरी प्राप्त होनी चाहिए।

इस संबंध में माननीय सदस्य ने सी.सी.एल प्राधिकारी को स्थिति स्पष्ट करने को कहा, जिस पर सी.एम.डी, सी.सी.एल ने आयोग को बताया की श्री मुंशी मांझी के परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी दे दी गई है, चुंकि सी.सी.एल द्वारा उक्त प्रोजेक्ट के लिए कुल 158 एकड जमीन अधिग्रहित की गई थी जिसके लिए कुल 54 लोगो को सी.सी.एल द्वारा नौकरी प्रदान कर दी गई जिसमें मुंशी राम मांझी भी सम्मिलित है। सी.एम.डी ने यह भी बताया की उस वक्त एग्रीमेंट के आधार पर तीन एकड जमीन की एवज मे एक व्यक्ति को नौकरी देने का प्रावधान था। अतः सी.सी.एल द्वारा उस वक्त के एग्रीमेंट के आधार पर ही प्रभावित व्यक्तियों को नौकरी प्रदान की गई।

दोनों पक्षो के तरफ से सुनने के उपरंात आयोग ने देखा की श्री मुंशी राम मांझी के परिवार की कुल 16.5 एकड़ जमीन अधिग्रहीत की गई थी। जिसकी एवज में मुआवजा के अतिरिक्त परिवार के 6 लोगों को नौकरी प्राप्त होनी चाहिए थी। अतः आयोग सलाह देता है कि सी.सी.एल द्वारा श्री मुंशी राम मांझी के परिवार के 6 लोगों को नौकरी प्रदान की जानी चाहिए।

Smt. Maya Chintamn Ivnate
Member
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India, New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार

बैठक की तिथि: 25.4.2018

(1) Case File No. BR/8/2016/MCOL1/SEOTH/RU-IV
(2) Case File No. BR/3/2017/MCOL1/SEOTH/RU-IV
(3) Case File No. BR/6/2017/MCOL1/SEOTH/RU-IV
(4) Case File No. BR/9/2017/MCOL1/SEOTH/Ru-IV
(5) Case File No. MRM/1/2015/MCOL1/DEOTH/RU-IV

बैठक में भाग लेने वालों की सूचीः–

National Commission for Scheduled Tribes

Sl. No.	Name and Designation
1.	Smt. Maya Chintamn Ivnate Hon'ble Member
2.	Shri S.K. Ratho, Joint Secretary, NCST
3.	Shri P.T. Jameskutty Deputy Secretary
4.	Shri Sudhir Atram PS to Hon'ble Member
5.	Shri H.R. Meena Sr. Investigator

Ministry of Coal (Central Coal Fields Ltd.)

Sl. No.	Name and Designation
1.	Shri Gopal Singh CMD
2.	Shri Manoj Kumr CM
3.	Shri Ashitava Mukherjee CM (M)
4.	Shri Babu Lal H Manager

Petitioner

Sl. No.	Name and Designation
1.	Shri Beijnath Ram